[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 11/2022 - सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि........(अ). - केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तो के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टी में उल्लिखित है, छूट देती है ।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8501	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए कंपन मोटर।	10%	1 और 2
2.	कोई अध्याय	क्र. सं. 1 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्ज।	शून्य	1 और 2
3.	8507 60	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः	शून्य	1 और 3

	00/ 8507 80 00	स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए बैटरी ।	5%	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
4.	कोई अध्याय	क्र. सं. 3 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
5.	8517 79 10	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए) ।	शून्य	1 और 3
			10%	1 और 4
			15%	1 और 5
			15%	1 और 6
6.	कोई अध्याय	क्र. सं. 5 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
7.	8517 79 90	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रदर्श समुच्चय ।	शून्य	1 और 3
			शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
8.	कोई अध्याय	क्र. सं. 7 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
9.	8544	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के लिए	शून्य	1 और 3

		चार्जिंग केबल । स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए कलाई पर पहने जाने वाले युक्ति के लिए चार्जिंग केबल, यूएसबी केबल प्रयुक्त अंतर्विष्ट चुंबकीय संयोजित्र केवल कलाई पर पहने जाने योग्य युक्ति के चार्जिंग के लिए अनन्यतः अभिप्रेत है ।	5% 10% 15%	1 और 4 1 और 5 1 और 6
10.	कोई अध्याय	क्र. सं. 9 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
11.	39, 73, 85	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है) के निम्नलिखित भाग, घटक और उपसाधन, अर्थात्: - (i) घडी डायल अग्र पैनल (ii) घडी डायल पश्च पैनल (iii) कुंजी (कक्षिका भाग) (iv) कुंजी ताला (कक्षिका भाग) (v) स्ट्रैप लॉन्ग साइड (सिलिकॉन या अन्य) सामग्री (ओं) समायोज्य स्ट्रैप) (vi) स्ट्रैप शॉर्ट साइड (सिलिकॉन या अन्य) सामग्री (ओं) अंतर्बंधन स्ट्रैप) (vii) स्ट्रैप कीपर (viii) अंतर्बंधन हुक (ix) बक्कल (x) बक्कल के लिए संपर्क छड (xi) बक्कल के लिए संपर्क छड (xii) काले कपड़े का टेप (xiii) चालक टेप (xiv) बायो सेंसर के लिए दोहरी सतह फोम टेप (xv) पेंच।	शून्य 5% 10% 15%	1 और 3 1 और 4 1 और 5 1 और 6
12.	कोई अध्याय	क्र. सं. 11 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2

उपाबंध

शर्त सं.	शर्तें
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है।
2.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
3.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार